

ई-मेल / पंजीकृत।

कार्यालय परिवहन आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

संख्या-963सा0प्र0 / 2017-336टीआर / 16,

लखनऊ : दिनांक 17 जुलाई, 2017

सेवा में,

1-संभागीय परिवहन अधिकारी  
गाज़ियाबाद।

2-सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन),  
गाज़ियाबाद।

**विषय:-Issue of licences to Forklift Operators-reg.**

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-आरटी-11036/59/2016-एमवीएल, दिनांक 03.10.2016 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके साथ श्री राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव, कौशल विकास विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.08.2016 की छायाप्रति संलग्न करते हुये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.06.1989 एवं 05.11.2014 को संज्ञान में लेते हुये **Forklift Operators** के लिये **Licence** निर्गत किये जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 03.10.2016 के प्रस्तर-2 में उल्लेख किया गया है। प्रस्तर-2 निम्नवत् है:-

**"Classes of licenses to be issued are mentioned in sub-section (2) of section 10 of the Motor Vehicle Act, 1988. Forklift has been included in the category of Light Motor Vehicles (LMV) and Medium and Heavy Motor Vehicle vide notification S.O. 436(E) dated 12/06/1989. Furthermore, forklift has been categorized as non transport vehicles vide motification S.O. 1248(E) dated 05/11/2004. Accordingly licenses can be issued Forklift Operators in the class of either Light Motor Vehicle (LMV) or Medium and Heavy Motor Vehicles-non transport category. The other rules and procedures may also be followed as per the provisions of the Motor Vehicle Act, 1988 and Central Motor Vehicle Rules, 1989".**

उक्त के संबंध में अनु सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-आरटी-11036/59/2016-एमवीएल, दिनांक 03.10.2016 की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि **Forklift Operators** के लिये

**Licence** निर्गत किये जाने के संबंध में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 03.10.2016 के प्रस्तर-2 में दिये गये निर्देशानुपालन में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त।

( डा0 राजेन्द्र प्रसाद )  
राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकारी,  
कार्यालय परिवहन आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

पू0सं0-963(1)सा0प्र0 / 2017 समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अनु सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, ट्रान्सपोर्ट भवन, 1, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नयी दिल्ली-110001 को भारत सरकार के पत्र संख्या-आरटी-11036/59 / 2016-एमवीएल, दिनांक 03.10.2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-संयुक्त सचिव, कौशल विकास विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ट्रान्सपोर्ट भवन, 1, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नयी दिल्ली-110001 को पत्र संख्या-बी-12018/19/2016-SDE। दिनांक 29.08.2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-अपर परिवहन आयुक्त (पूर्वी) लखनऊ/(पश्चिमी) मेरठ/(मध्य) कानपुर।
- 4-समस्त उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र) एवं समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5-समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि **Forklift Operators** के लिये **Licence** निर्गत किये जाने के संबंध में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 03.10.2016 के प्रस्तर-2 में दिये गये निर्देशानुपालन में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

( डा0 राजेन्द्र प्रसाद ) 14-11-17  
राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकारी,  
कार्यालय परिवहन आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।